कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्याः–1459 / **FP/UK/ROAD/18021/2016** देहरादूनः दिनांकः 16 दिसम्बर, 2019

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार
पर्यावरण, वन एंव जलवायू परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर–मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः–जनपद–अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत मंगलीखान (कुकुछीना) से नयाल मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में। (**FP/UK/ROAD/18021/2016**)

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के **EDS** दिनांक 11.10.2019

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित **EDS दिनांक** 11.10.2019 के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा, के क्रम में बिन्दुवार आख्या मय संलग्नक सहित प्रेषित की जा रही है।

S.No	EDS	REPLY
1	In reply to point No-3 KML file of CA area is still not found uploaded. State Govt. may upload the KML file of CA area at para-1(i) in online part II.	प्रस्तावक विभाग द्वारा CA area की KML file पार्ट ।। के additional information में अपलोड कर दिया गया है।
2	In reply to point no-4, it is submitted that Total no list of 229 trees uploaded in 4 part II but only 193 tees list found uploaded.	प्रस्तावक विभाग द्वारा वन भूमि में प्रभावित वृक्षों की प्रविष्टि पार्ट ।। के पैरा 4 में भी की गयी है। जिनकी संख्या 193 है। 36 वृक्ष नाप भूमि में प्रभावित होते हैं जो पार्ट ।। में नहीं अंकित किये गये है।
3	In reply to point no-7 it is mentioned that the original hard copy of the proposal is enclosed but the same is not received,	प्रस्ताव की मूल प्रति पृथक से भारत सरकार को प्रेषित की जा रही है।
4	Digital map of proposed road is not found uploaded instead of Google earth map found uploaded. State Govt may upload the digital map or proposed road at para C (iv) part I online.	प्रस्तावक विभाग द्वारा डिजिटल मैप को यथास्थान पैरा C (iv) पार्ट । में आनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
5	वर्तमान में के0एम0एल0 फाईल पर अंकित ग्राम नायल की स्थिति का परीक्षण करने पर पूर्व से ही एक अन्य मार्ग उपस्थित प्रतीत होता हो रहा हैं वन मण्डल अधिकारी द्वारा भी अपने एस0आई0आर0 में यह उल्लेख किया गया है कि नया समरेख्या प्रस्तावित करने के स्थान पर पूर्व उपलब्ध मार्ग के समरेखण पर ही मार्ग का निर्माण किया जायें। अतः राज्य सरकार समरेखन का परीक्षण कर विस्तृत रिर्पोट प्रस्तुत करें। साथ ही उपलब्ध मार्ग की सम्भावनाओं को देखते हुए 7.00 मी0 चौड़ा मार्ग बनाये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः राज्य सरकार इस पर अपना स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग द्वाराहाट मोटर मार्ग के किमी0 14.00 से प्रारम्भ होकर लक्षित ग्राम नायल (बसावट 296) को जोडता है। ग्राम नायल हेतु ब्रिटिश काल से ही निर्मित पैदल मार्ग जिसकी चौड़ाई 4.0 मी0 से 4. 25 मी0 है, प्रस्तावित मोटर मार्ग का समरेखण पूर्व निर्मित पैदल मार्ग के समरेखण पर ही किया गया है, कुछ स्थानों पर जहां पैदल मार्ग का उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है, उन स्थानों पर ही मोटर मार्ग को मानक ग्रेड में निर्मित करने से प्रस्तावित समरेखण पैदल मार्ग से हट रहा है तथा पुनः मोटर मार्ग का ग्रेड व्यवस्थित करते हुए पूरी लम्बाई में पैदल मार्ग से ही मोटर मार्ग का

		निर्माण किया जायेगा। प्रारम्भिक बिन्दु पर पैदल मार्ग का अत्याधिक ढलान होने से मोटर मार्ग का टेक आफ बिन्दु 500–600 मी0 तक पैदल मार्ग पर कही कही छूट रहा है। पैदल मार्ग के अधिकतर भाग में जहा मार्ग का ढाल सही है, से ही मोटर मार्ग का समरेखण गुजर रहा है, तथा इसी समरेखण पर मोटर मार्ग का निर्माण किया जायेगा। लक्षित ग्राम का संतुलित विकास पर्यावरण को ध्यान में रखते किया जाना अति आवश्यक है। मोटर मार्ग का निर्माण 5.95 मीटर चौडाई में पी0एम0जी0एसवाई0 मानक के अनुरूप ही किया जायेगा। परन्तु मोडों पर हेयर बैण्ड पर मानक के अनुरूप अतिरिक्त 0.90 मी0 चौड़ाई ली गयी है। जिस स्थान पर मार्ग के एज पर भी वृक्ष आ रहे होगें एवं जहॉ मार्ग की चौडाई 5.95 मी0 होगी उन स्थानों पर भी वृक्षों को बचाने का हर सफल प्रयास किया जायेगा, ताकि पर्यावरण का भी कम से कम क्षति हो और लक्षित ग्राम तक भी विकास / यातायात का साधन सुलभ हो सके।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

16/1/19

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी